हाथ बदलेगा हालात

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

न्यायपत्र 2024

विषयसूची

न्याय का संकल्प **3**

1. हिस्सेदारी न्याय **6**

सामाजिक न्याय 6

अल्पसंख्यक 7

वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA + ... 8

स्वास्थ्य 9

2. युवा न्याय (युवाओं के लिए न्याय) **11**

युवाओं के लिए रोज़गार 11

शिक्षा 12

खेल 14

3. नारी न्याय (महिलाओं के लिए न्याय) **15**

महालक्ष्मी 15

महिला सशक्तिकरण 15

4. किसान न्याय (किसानों के लिए न्याय) **17**

मछली-पालन एवं मछुआरे 19

5. श्रमिक न्याय (श्रमिकों के लिए न्याय) **20**

6. संविधानिक न्याय **21**

लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें 21

नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना 22

मीडिया 23

न्यायपालिका 24

भ्रष्टाचार-विरोधी 25

कला, संस्कृति और विरासत 26

7. आर्थिक न्याय **27**

हमारी आर्थिक नीति 27

बेरोज़गारी - नौकरियों की मांग को पूरा करना 30

कराधान और टैक्स में सुधार 31

उद्योग 32

बुनियादी ढांचा 33

विषयसूची

8. राज्य न्याय **35**

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध 35

ग्रामीण एवं शहरी विकास 36

उत्तर पूर्वी राज्य 37

9. रक्षा न्याय (सुरक्षा के माध्यम से न्याय) **38**

रक्षा 38

आंतरिक सुरक्षा 39

विदेश नीति 40

10. पर्यावरण न्याय **42**

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन 42

जल प्रबंधन एवं स्वच्छता 43

निवेदन 45

न्याय का संकल्प

अपनी 138 साल की यात्रा के हर चरण में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के सभी लोगों की समस्याओं, विकास, आकांक्षाओं और आशाओं एवं उम्मीदों के साथ खड़ी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य आजादी हासिल करना था। तब कांग्रेस महात्मा गांधी और कई अन्य महान नेताओं की बुद्धिमत्ता और बलिदान से निर्देशित थी। आजादी के बाद से, कांग्रेस का धर्म सिद्धांत, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और उस समय के अन्य प्रबुद्ध लोगों द्वारा तैयार किया गया, भारत का संविधान है।

कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा।

स्वतंत्रता मिलने के बाद से कांग्रेस भारत की आशा और उम्मीद की किरण रही है। हमारी नीतियों ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में तेजी से औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया, भारत को एक अकालग्रस्त देश से दुनिया भर के देशों को खाद्यान्न निर्यात करने वाले देश के रूप में बदला, एक वैश्विक सॉफ्टवेयर शक्ति-केंद्र (पावरहाउस) के रूप में भारत के उदय के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नींव तैयार की और अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा में उच्च श्रेणी के संस्थान बनाए, जिनसे निकले स्नातकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में देखा जाता है। एक तरफ़ उदारीकरण और सुधारों के कारण लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाई गयी, वहीं दूसरी तरफ़ हमारी समाज कल्याणकारी नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक भारत के विकास की कहानी में हिस्सेदार हो। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) द्वारा तैयार किए गए समाज कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट (2008), वैश्विक आर्थिक मंदी (2013), नोटबंदी (2016) और कोविड-19 (2020) जैसे झटकों से उभरने में सक्षम बनाया है।

पांच वर्ष पहले, लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणापत्र प्रकाशित किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के रिकॉर्ड के आधार पर, कांग्रेस ने लोगों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा/एनडीए सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया था। अफसोस की बात है कि देश की स्थिति के बारे में हमारा आकलन सही साबित हुआ है। पिछले पांच वर्षों में यह संकट और गहरे हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणापत्र में जो वादे और आश्वासन दिए थे, वे आज भी वैध हैं और कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इसलिए, कांग्रेस अपने 2019 के घोषणापत्र में कही गई बातों को दोहराने से शुरुआत करती है और आपसे उस घोषणापत्र की बातों को इस घोषणापत्र के हिस्से के रूप में पढ़ने का आग्रह करती है।

कांग्रेस पहले दी गई अपनी चेतावनी को दोहराती है।

- कांग्रेस ने कहा था, 'युवाओं की नौकरियां चली गईं हैं' – आज बेरोज़गारी दर 8 प्रतिशत है और स्नातकों (ग्रेजुएट्स) के बीच बेरोजगारी दर 40 प्रतिशत से अधिक है।
- कांग्रेस ने कहा था, 'किसान आशा और विश्वास खो चुके हैं' - २०२१ में किसानों को तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 16 महीने तक सड़कों पर उतरना पड़ा था। वे कानून किसानों को व्यावसायिक (कॉर्पोरेट) घरानों का गुलाम बना देते; किसान आज फिर से सड़कों पर हैं।
- कांग्रेस ने कहा था, 'व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है' – जी.एस.टी. ने लाखों व्यापारियों से अत्यधिक टैक्स लूटा है और मुक्त-व्यापार (फ्री-ट्रेड) को बाधित कर दिया है।
- कांग्रेस ने कहा था, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने अपना विश्वास खो दिया है' - लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) बंद हो चुके हैं और अब नौकरिया पैदा करने में सक्षम नहीं हैं।
- कांग्रेस ने कहा था, 'महिलाओं में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है' -वर्ष 2014 से 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध 31 फीसदी बढ़ गए हैं।
- कांग्रेस ने कहा था 'वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुके हैं' - सरकार के विभिन्न विभागों में एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में खाली पड़े पदों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग नौकरियों से वंचित हो गए हैं। आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित रखा गया है।
- कांग्रेस ने कहा था, 'सरकारी संस्थानों की स्वतंत्रता ख़त्म हो गई है' - संवैधानिक निकायों सहित प्रत्येक संस्था को कमजोर कर दिया गया है और, कुछ मामलों में, सरकार के अधीन बनने के लिए मजबूर किया गया है।

हमारी सबसे बड़ी चिंता 'डर, धमकी और नफरत का मौजूदा माहौल' है। पिछले पांच वर्षों से हर वर्ग के लोग भय में जी रहे हैं; लोगों को डराने-धमकाने के लिए कानूनों और जांच एजेंसियों को हथियार बनाया गया है; और अपनी कथनी व करनी के माध्यम से भाजपा और उसके सहयोगियों ने विभिन्न धार्मिक, भाषा और जाति समूहों के लोगों के बीच नफरत फैलाई है।

जिन खतरों के प्रति पहले हमने आगाह किया था, वे आज एक कड़वी वास्तविकता बन गए हैं।

अर्थव्यवस्था संकट में है। इस दावे के बावजूद कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी विकास दर वर्ष 2004-14 की यू.पी.ए. अवधि के दौरान 6.7 प्रतिशत (नई श्रृंखला) के औसत से गिरकर अब वर्ष 2014-24 के दौरान औसतन 5.9 प्रतिशत हो गई है। अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य (जिसे यू.पी.ए. ने हासिल किया था) के विपरीत, वास्तविक रूप में भारत की जी.डी.पी. वर्ष 2013-14 में 100 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में केवल 173 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जो लक्ष्य से बहुत कम है।

विकास दर में गिरावट का लोगों पर, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं, सेवाओं की खपत और जीवन स्तर पर पड़ा है। घरेलू शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है, घरेलू देनदारियां बढ़ी हैं और परिवार अधिक क़र्ज़ में डूबे हैं।

अमीरों और गरीबों व मध्यम वर्ग के बीच असमानता तेजी से बढ़ी है, जिससे समानता, समता और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को गहरा झटका लगा है। थॉमस पिकेटी सहित प्रमुख वैश्विक अर्थशास्त्रियों की "भारत में आय और धन असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक असमान है। भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय का हिस्सा आज अपने उच्चतम ऐतिहासिक स्तर पर है और विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। असमानता में वृद्धि विशेष रूप से 2014 और 2023 के बीच देखी गई है।

मनरेगा (MGNREGA) के तहत पंजीकृत एवं सक्रिय श्रमिकों की संख्या और 80 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह) पर निर्भरता, व्यापक गरीबी के निश्चित संकेतक हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है।

आज सबसे गंभीर खतरा यह है कि भारत अब वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रह पाएगा। भारत में लोकतंत्र खोखला होता जा रहा है और देश तेजी से एक-व्यक्ति और एक-दलीय तानाशाही बनने की ओर बढ़ रहा है। संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और केंद्र सरकार अधिकांश केंद्रीय राजस्व को अपने अधिकार में ले रही है, उन विषयों पर कानून पारित कर रही है जो अब तक राज्य सरकारों पर छोड़े गए थे, और अपनी वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर, राज्यों का दर्जा नगर पालिकाओं के समान करती जा रही है। गैर-भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों को राज्यों की निर्वाचित सरकारों के कामकाज को ठप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर-भाजपा नेताओं को भाजपा की इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले थोपने के लिए कानून और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया को पुरस्कृत या भयभीत करके सरकार के प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है।

अपने आप से दो प्रश्न पूछें:
1. क्या आज आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है?
2. क्या आपका मन भयमुक्त है जैसा कि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कल्पना की थी?

आपके सामने जो विकल्प 2019 में थे, वे आज भी मान्य है। विकल्प कांग्रेस या बीजेपी नहीं बल्कि उससे अधिक है। आपको चुनना है:

लोकतांत्रिक सरकार या सत्तावादी शासन के बीच

स्वतंत्रता या भय के बीच

सभी के लिए समृद्धि या कुछ लोगों के लिए धन के बीच

न्याय या अन्याय के बीच

वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव एक-दलीय तानाशाही पर लोकतंत्र, भय पर स्वतंत्रता, कुछ लोगों की समृद्धि पर सभी के लिए आर्थिक विकास और अन्याय पर न्याय को चुनने का अवसर प्रदान करेगा। कांग्रेस आपसे अपील करती है कि आप धर्म, भाषा और जाति से परे देखें, समझदारी से चुनाव करें और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करें जो भारत के सभी लोगों के लिए काम करेगी। हम आपसे "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस" को वोट देने की अपील करते हैं।

हिस्सेदारी न्याय

सामाजिक न्याय

कांग्रेस पार्टी पिछले सात दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्गों एवं जातियों के हक और अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रही है। कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है। लेकिन जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हकीकत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70% हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसायों और ऊँचे पदों पर उनकी भागीदारी काफी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी।

1. कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

2. कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी।

3. कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।

4. कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।

5. कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भरतीयों की जगह नियमित भर्तियाँ करेगी। और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमतीकरण करेगी।

6. कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी।

7. कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी।

8. कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी।

9. कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए। कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी; पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी।

10. कांग्रेस गरीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी।

11. कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।

12. कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा-परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन-सह-पुस्तकालय स्थापित करेगी।

13. कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के संदर्भ में एक कानून बनाएगी।

14. कांग्रेस वार्षिक बजट के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के लिए संसाधनों के आवंटन को अधिकृत करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कानून पारित करेगी।

15. कांग्रेस मैला उठाने की कुप्रथा को ख़त्म करेगी। सभी मैला उठाने वालों को किसी दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाया जाएगा और उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके लिए सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों' के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' को सख्ती से लागू किया जाएगा और हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही मैला उठाने के काम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाली मशीनों को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी, जिससे मानव अपशिष्टों को हटाया जा सके। सभी सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त बीमा सुनिश्चित किया जाएगा।

16. कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सख्ती के साथ लागू करेगी। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध की जाएगी।

17. कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहटों को 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन वर्तमान समय में वे अधिसूचित क्षेत्र से बाहर हैं।

18. कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विशेष बजट, योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी।

19. कांग्रेस 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों का निपटान सुनिश्चित करेगी और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी।

20. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त जिला सरकार' की स्थापना के लिए राज्य पेसा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाएं।

21. कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेद-भाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी।

22. कांग्रेस रेनके आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करेगी और विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी।

23. कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोज़गार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आंकलन करेगी और बढ़ावा देगी।

अल्पसंख्यक

धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तनाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है।

भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।

2. कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी।

3. कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी।

4. कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी।

5. अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी।

6. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले।

7. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो।

8. कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे।

9. कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है।

वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA +

1. वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।

2. कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी, विशेष रूप से उपेक्षा, दुर्व्यवहार, परित्याग, बेदखली और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में।

3. कांग्रेस 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' की समीक्षा करेगी, साथ ही इसकी कमियों को दूर करते हुए और इसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी।

4. कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन (रेल और सड़क) में यात्रा छूट दोबारा लागू करेगी।

5. कांग्रेस 'विकलांगता', 'क्षति' या 'यौन रुझान' के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार करेगी।

6. कांग्रेस ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में मान्यता देगी।

7. कांग्रेस विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी।

8. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई अधिनियम के तर्ज पर कांग्रेस देश भर में स्थानीय सरकारी निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व देगी।

9. कांग्रेस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को सख्ती से लागू करेगी।

10. कांग्रेस पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से देश भर में दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए एक योजना लागू करेगी।

11. कांग्रेस विस्तृत परामर्श के बाद ऐसा क़ानून लाएगी जो LGBTQIA+ समुदाय के नागरिक भागीदारी ('सिविल यूनियन') को क़ानूनी रूप से मान्यता देगा।

स्वास्थ्य

कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने यह स्वीकारा था कि लोगों का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने भारत में पहली स्वास्थ्य योजना शुरू की थी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है।

1. कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे।

2. राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।

3. कांग्रेस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक मानदंडों (IPHS) के अनुसार विकसित करेगी, और प्रत्येक पीएचसी में डायग्नोस्टिक्स (आधुनिक जांच सुविधाएं) उपलब्ध कराएगी।

4. कांग्रेस निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरूआत को बढ़ावा देगी। मौजूदा यूनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों की जरुरतों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाएगा और निजी अस्पतालों, गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य केंद्रों को इसके तहत सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी।

5. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को मिले। सभी नियोक्ता अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों के लिए सवैतनिक (वेतन के साथ) मातृत्व अवकाश देंगे।

6. कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को हर साल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक बजट का न्यूनतम 4 प्रतिशत करेगी।

7. कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए कठिनाई भत्ता दोगुना करेगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेगी।

8. कांग्रेस फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया, आदि) के मानदेय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करेगी।

9. कांग्रेस प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल स्थापित करेगी।

10. कांग्रेस सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सभी पदों (मेडिकल और पैरामेडिकल) को तीन साल के भीतर भरेगी।

11. मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% पदों को भरने की न्यूनतम कानूनी अनिवार्यता होगी।

12. कांग्रेस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की समीक्षा करेगी और कमियों को दूर करेगी। आयोग (NMC) को अपने दायित्वों का निर्वहन करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी।

13. कांग्रेस 2,500 से अधिक आबादी वाली बसाहट में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेगी।

14. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा की सभी प्रणालियों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाए।

15. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि दवाओं के सभी निर्माताओं पर कड़ाई से निगरानी रखी जाए ताकि वे अच्छी गुणवत्ता बनाए रखे और अच्छी उत्पादन प्रक्रिया का पालन करे।

16. कांग्रेस केंद्र सरकार के औषधालयों की संख्या में तेजी से विस्तार करेगी। सभी केंद्रीय सरकारी औषधालय उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की ब्रांडेड और जेनेरिक दवाएं वितरित करेंगे।

17. कांग्रेस टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। अभी देश के केवल 76 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। कांग्रेस 5 वर्षों के भीतर 100 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेगी।

18. कांग्रेस मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार बारहवीं कक्षा तक करेगी ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके और बौनापन (स्टंटिंग) (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) और कुपोषण (वेस्टिंग) (लंबाई के हिसाब से कम वज़न) की घटनाओं को तेजी से कम किया जा सके।

19. कांग्रेस एक सुरक्षा कानून पारित करेगी जिसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते समय डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अपराध का दर्जा दिया जाएगा।

युवा न्याय
(युवाओं के लिए न्याय)

युवाओं के लिए न्याय

"भविष्य आज के युवाओं में निहित है" यह बात विशेष रूप से भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, जिसकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है। आज भारत के युवाओं को बेरोजगारी के साथ-साथ निराशा का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जो भाजपा/एनडीए सरकार के तहत हर साल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक सशक्त युवा न्याय कार्यक्रम के माध्यम से भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

1. पहली नौकरी पक्की गारंटी : कांग्रेस शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत, हर प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जायेगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। ये कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा।

2. कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक (प्रश्न पत्र लीक) होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी।

3. कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से निश्चित समय सारिणी के अनुसार भरी जाएंगी।

4. कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए, जहां तक संभव हो, देश के सभी ज़िलों में समान रूप से आवंटित करेगी, ताकि देशभर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा करें।

5. कांग्रेस उन आवेदकों (आकांक्षियों) को एक बार कि राहत देगी, जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे।

6. कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी।

7. व्यापक बेरोजगारी के कारण, कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

शिक्षा

शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी संसाधनों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थान होने चाहिए। कांग्रेस यह भी मानती हैं कि निजी शिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं।

1. कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी।

2. भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से एन.ई.पी. पर फिर से विचार करेगी और उसमें संशोधन करेगी।

3. कांग्रेस सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करेगी।

4. निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली स्कूल फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए, कांग्रेस राज्य सरकारों को शुल्क विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी।

5. शिक्षण की गुणवत्ता शैक्षिक परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी कि हर कक्षा और हर विषय में एक समर्पित शिक्षक हो। प्रत्येक कक्षा का एक समर्पित कक्ष होना चाहिए।

6. स्कूलों में साक्षरता, संख्यात्मकता और बुनियादी विज्ञान पर जोर देने वाली बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कांग्रेस बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार करेगी और सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएगी।

7. स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए STEM विषयों के अध्ययन पर जोर देंगे।

8. कांग्रेस गैर-शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी।

9. नियमित रिक्तियों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाला आरटीई मानदंड लागू किया जाएगा।

10. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक (केजी/नर्सरी) और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी ताकि सभी बच्चों को कम से कम दो साल की पूर्व-स्कूल शिक्षा मिले।

11. वार्षिक सर्वेक्षणों से स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणामों में भारी अंतर का पता चला है। कांग्रेस इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और 5 साल की अवधि के भीतर बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करेगी।

12. कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाएगी।

13. कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी. उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी और उन्हें प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस कानून के अनुसार छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण करेंगे और निर्वाचित छात्र संघ का अधिकार देंगे।

14. ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग,

ईडब्ल्यूएस, विमुक्त जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के लिए प्री-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति बहाल की जाए, बढ़ाई जाए और पूरी तरह से वित्त पोषित की जाए।

15. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी केंद्रीय पाठ्यपुस्तकें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और भारत के संवैधानिक मूल्य, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में निहित है, के अनुरूप हो। पाठ्यपुस्तकों में संशोधन मनमाने ढंग से या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर नहीं किया जाएगा।

16. कांग्रेस 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील/तालुक में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। ये सामुदायिक कॉलेज सेवा उद्योग में नौकरियों के लिए उपयुक्त डिग्री/डिप्लोमा की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेंगे (जैसे आतिथ्य, पर्यटन, डिजिटल मार्केटिंग, पैरामेडिकल, पैरालीगल, आदि) और विनिर्माण उद्योग में नौकरियों के लिए जिनके लिए बुनियादी तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।

17. कांग्रेस, यूपीए सरकार के तहत लागू कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करेगी और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिपिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदकों को बैंकों को 4 लाख रुपये तक के बिना किसी जमानत/गारंटी के शिक्षा ऋण देने के लिए निर्देशित करेगी।

18. व्यापक बेरोजगारी के कारण, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

19. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधक निकायों में सेवारत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो।

20. कांग्रेस केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण रिक्तियों को भरेगी।

21. राष्ट्रीय मान्यता निकायों को मजबूत किया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों को कड़े गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

22. ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ा है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हों।

23. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कोचिंग सेंटर और EdTech कंपनियां कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करें।

24. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान - केंद्रीय, राज्य और निजी, छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करें। कांग्रेस केंद्र द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं जैसे नीट, सीयूईटी इत्यादि की नीति पर फिर से विचार करेंगे और राज्य सरकारों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को अपनाने या राज्य-वित्त पोषित और राज्य-अनुमोदित उच्चतर निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अपनी परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प बनाएंगे।

25. कांग्रेस राज्य सरकारों को राज्य, जिला और तालुक/तहसील मुख्यालयों में अत्याधुनिक इंटरनेट-सक्षम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता करेगी।

खेल

भारत के स्वतंत्र इतिहास में किसी भी सरकार ने खेलों का उतना राजनीतिकरण नहीं किया जितना वर्तमान भाजपा/एनडीए सरकार ने किया है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा स्थानों पर विश्व कप खेलों का आयोजन करने से लेकर खेल संस्थाओं में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों द्वारा भारत के ओलंपियनों के उत्पीड़न पर आंखें मूंद लेने तक, भारतीय खेल यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भारतीय खेल ऊंची उड़ान भरेगा। खेलों को बढ़ावा तभी मिल सकेगा जब खेल निकायों की स्वतंत्रता बहाल हो, राजनीतिक हस्तक्षेप दूर हो और सरकार खेल विकास के लिए एक मजबूत और तटस्थ वातावरण उपलब्ध कराए।

1. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि प्रत्येक खेल निकाय का संविधान उचित मानदंडों और सिद्धांतों के अनुसार हो, चुनाव उस निकाय के संविधान और जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार हों, और प्रत्येक खेल निकाय में यह प्रावधान हो कि सक्रिय खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए प्रत्येक खेल निकाय में प्रतिनिधित्व हो सके।

2. कांग्रेस खेल निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन एवं स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। साथ ही सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, गलत तरीके से निष्काशन, आदि के विरुद्ध बचाव सुनिश्चित करेगा।

3. कांग्रेस 21 वर्ष से काम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाडियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना लागू करेगी।

4. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 बहु-खेल प्रशिक्षण केंद्र (खेल अकादमी) एवं प्रत्येक ब्लॉक और शहर में कम से कम 1 सामुदायिक खेल केंद्र (स्टेडियम) स्थापित हो।

5. कांग्रेस खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी।

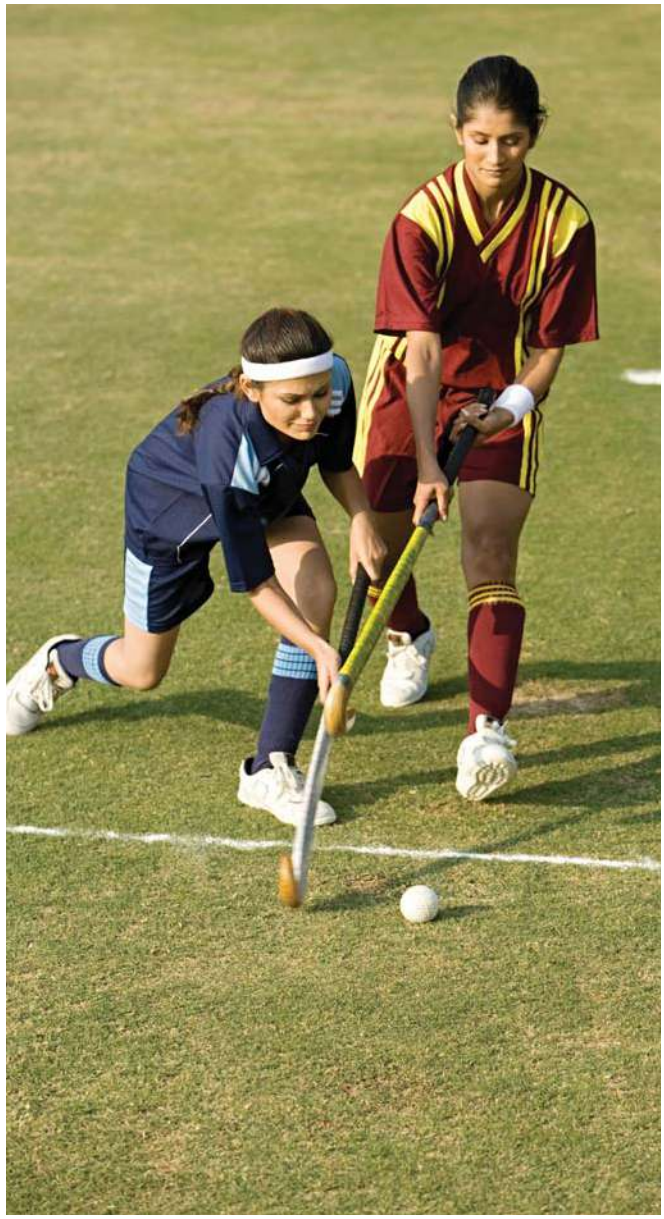

6. कांग्रेस "स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी" कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल करियर की समाप्ति पर, सम्मानित नौकरी दी जाएगी। इस कार्यक्रम से प्रतिभाशाली युवाओं को अपने भविष्य की चिंता के बिना खेल को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

7. कांग्रेस लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जनजातियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

नारी न्याय

(महिलाओं के लिए न्याय)

महालक्ष्मी

आय और अवसर की असमानता भारत का सबसे कटु सत्य बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित हो।

1. कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे ज़रूरतमंद परिवारों में से की जाएगी।

2. यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी।

महिला सशक्तिकरण

ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है।

1. संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेगी। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जायेगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी।

2. कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी।

3. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो।

4. लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के लिए सभी कानूनों की जांच की जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले वर्ष में अपमानजनक प्रावधानों को हटा दिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा।

5. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाए।

6. फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया, आदि) के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।

7. कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। विशेष रूप से, कांग्रेस बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को व्यापक रूप से बढ़ाएंगे।

8. महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25 प्रतिशत है। कांग्रेस उचित और समान वेतन; कार्य के सुरक्षित स्थान; शिशु देखभाल सेवाएं; यौन उत्पीड़न और हिंसा को रोकना; और मातृत्व लाभ का विस्तार जैसे उपाय करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करेगी।

9. कांग्रेस "भारतीय महिला बैंक" को फिर से स्थापित करेगी, जिसने महिला निदेशक मंडल के साथ आशाजनक शुरुआत की थी, लेकिन पितृसत्तात्मक भाजपा/एनडीए सरकार ने इसे बंद कर दिया था।

10. विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद-लेना, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करेगी।

11. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।

12. कांग्रेस प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रैनबसेरे बनाने के लिए राज्य सरकारों को धन देगी और कस्बों और शहरों में महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी।

13. कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग के साथ छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी।

14. कांग्रेस प्रत्येक पंचायत में शिक्षा के लिए पैरालीगल के रूप में एक "अधिकार मैत्री" नियुक्त करेगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों पर शिक्षित करेगी और उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहयोग करेगी।

किसान न्याय

(किसानों के लिए न्याय)

किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा/एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता; न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है; काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है।

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकटकाल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1. कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।

2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।

3. खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।

4. कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा।

5. फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

6. किसान संगठनों के परामर्श से, कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए तीन रास्ते उपलब्ध कराएंगे:

a. एपीएमसी (APMC) एक्ट के अंतर्गत विनियमित बाजार।

b. ई-बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा।

c. किसान को डिजिटल बही-खाते पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म-गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता है।

7. कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें।

8. कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों और एफपीओ (FPO) का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी।

9. कांग्रेस प्रत्येक कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान एवं प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी।

10. कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी।

11. कांग्रेस बागवानी, मछलीपालन और रेशमकीटपालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योजना लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

12. कांग्रेस पांच साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करेगी।

13. राज्य सरकारों के समन्वय से कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो।

14. कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को पांच वर्षों में दोगुना करेगी।

मछली-पालन एवं मछुआरे

कांग्रेस मछली पालन के उद्योग को बढ़ावा देने और 280 लाख (2.8 करोड़) से अधिक मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

1. कांग्रेस समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए डीजल पर सब्सिडी फिर से लागू करेगी।

2. कांग्रेस समुद्र में लापता होने वाले मछुआरों को तुरंत ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि उन्हें मृत मान लिया जाता है तो 3 माह के भीतर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3. कांग्रेस बीमा कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश देगी।

4. मछली पकड़ने वाले समुदायों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड (किसान क्रेडिट कार्ड की तरह) और विस्तारित क्रेडिट जारी किए जाएंगे।

5. मछुआरा समुदायों की जाति जनगणना में गणना की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा पहचान पत्र दिए जाएंगे।

6. कांग्रेस अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को 'कृषि' के रूप में मान्यता देगी।

7. कांग्रेस फाइटोसैनिटरी मानकों को बढ़ावा देगी और ऐसे मानकों को पूरा करने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी।

8. मछली पकड़ने वाले समुदायों के उपयोग के लिए तट रेखा के किनारे मछली पकड़ने के बंदरगाह विकसित किए जाएंगे।

9. कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सहकारी बैंक बनाएगी।

10. कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने, संघर्षों, गिरफ्तारियों, नौकाओं की जब्ती और जानमाल के नुकसान को खत्म करने और हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तंत्र स्थापित करेगी।

श्रमिक न्याय
(श्रमिकों के लिए न्याय)

1. कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी।

2. कांग्रेस कार्यस्थलों एवं आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी।

3. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाए।

4. कांग्रेस मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा।

5. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।

6. कांग्रेस गिग (Gig) और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को निर्दिष्ट और संरक्षित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी।

7. कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेगी।

8. सभी राज्यों में राशन कार्ड धारकों की सूची तुरंत अपडेट की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिकों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन मिले।

9. कांग्रेस अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों (जनगणना लंबित) के आधार पर पी.डी.एस. (PDS) कवरेज का विस्तार करेगी। इसमें मिलने वाली सामग्रियों का विस्तार होगा जिसमें दाल और तेल जोड़े जाएँगे।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के आधार पर पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस. (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।

11. कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी जो रियायती भोजन की पेशकश करेगी जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया है।

12. 2,500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक दूसरी आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे।

13. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करें और अतिरिक्त 14 लाख नौकरियां पैदा करेंगे।

14. कांग्रेस प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देगी।

संविधानिक न्याय

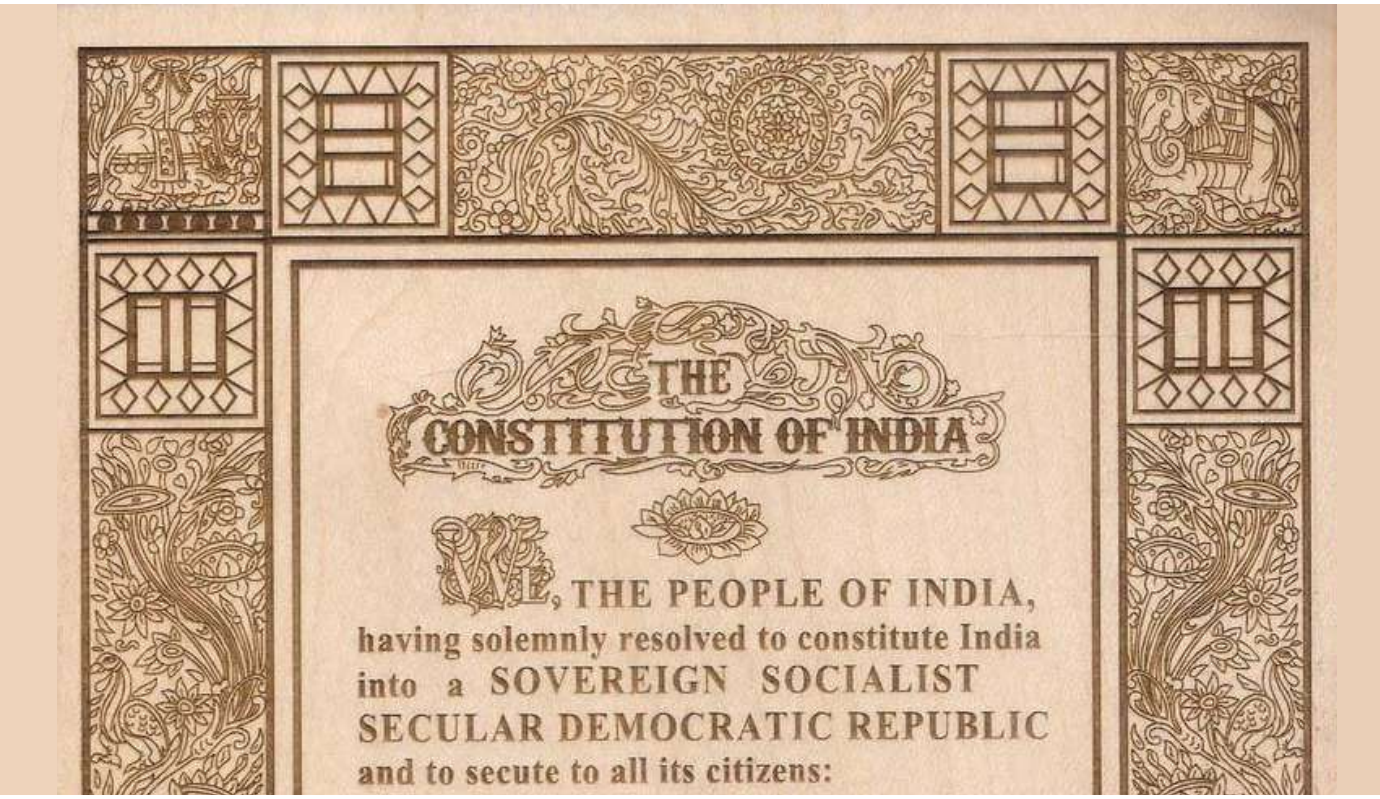

लोकतंत्र बचाएँ, भय हटाएँ, स्वतंत्रता बहाल करें

भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद सहित प्रत्येक संस्था ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और कार्यकारी सरकार के अधीन हो गई है। यह सबको जानकारी है कि देश में एक व्यक्ति की इच्छा ही चलती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल करना होगा।

1. कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है।

2. कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती हैं।

3. कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने और कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती हैं।

4. कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है।

5. कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम, 2023 की समीक्षा करेंगे और उन प्रावधानों को हटा देंगे जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

6. कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती हैं।

7. कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है।

8. कांग्रेस वादा करती हैं कि कांग्रेस भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द करेंगे।

9. कांग्रेस वादा करती हैं कि संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पूर्व में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती हैं कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती हैं कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना

होगा और सदियों पुराने मानदंड का पालन करना होगा कि 'अध्यक्ष निष्पक्ष है'।

10. कांग्रेस 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के विचार को अस्वीकार करती है और कांग्रेस वादा करती हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तब होंगे।

11. कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट (VVPAT) इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा।

12. कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को मजबूत करने का वादा करती है।

13. कांग्रेस संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोड़कर) को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वत: अयोग्य घोषित करेगी।

14. कांग्रेस योजना आयोग को बहाल करेगी और उसकी भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करेगी जिसमें अध्याय 7 में वर्णित नव संकल्प आर्थिक नीति की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना शामिल होगा।

15. कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं , उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।

16. कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड-डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा करते हैं।

17. कांग्रेस जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती हैं जो इस आशय को पुनःस्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'।

18. कांग्रेस जेलों को पुनर्वास, सुधार और सुधार के संस्थानों में बदलने के लिए व्यापक जेल सुधार लागू करेगी।

नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना

पिछले 10 वर्षों में भाजपा/एनडीए द्वारा संसद में प्राप्त प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करके ऐसे कानून बनाने के लिए जबरदस्त क्षति पहुंचाई गई, जो भारत के संविधान की मूल भावना के साथ-साथ कानून बनाने के मूल सिद्धांतों जैसे आवश्यकता, परामर्श, तर्कसंगतता और समानता का भी उल्लंघन करते हैं।

हम वादा करते हैं कि उचित संसदीय जांच और बहस के बिना भाजपा/एनडीए द्वारा पारित किए गए सभी जन-विरोधी कानूनों, विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और वन और डिजिटल डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा।

हम चुनावी बांड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार-बार खुफिया विफलताओं और प्रमुख रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की पूरी जांच करेंगे।

मीडिया

पिछले दस वर्षों में मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आज़ादी छीन ली गई है, या आत्मसमर्पण कर दिया गया है। कांग्रेस मीडिया को संविधान के तहत प्राप्त स्वतंत्रता को फिर से दिलाने में मदद करेगी।

1. कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया के दुरुपयोग को ठीक करने के लिए स्व-नियमन सबसे अच्छा तरीका है। कांग्रेस स्व-नियमन की प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।

2. कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।

3. कांग्रेस पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी। इसमें पत्रकारों की निगरानी, उनके उपकरणों को जब्त करने और उनके स्रोतों को उजागर करने के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल है।

4. कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न वर्गों के क्रॉस-स्वामित्व और व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण को रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी। कांग्रेस संदिग्ध एकाधिकार के मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजेगी।

5. आकार की परवाह किए बिना सभी मीडिया हाउसों को अपनी वेबसाइटों के माध्यम से अपनी स्वामित्व संरचना (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), क्रॉस होल्डिंग्स, राजस्व स्ट्रीम आदि का खुलासा करना होगा।

6. कांग्रेस इंटरनेट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इंटरनेट को मनमाने ढंग से और बार-बार बंद करने से रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी।

7. कई नए कानून (उदाहरण के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2023; डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023; प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अधिनियम, 2023, आदि) सरकार को सेंसरशिप की बेलगाम शक्तियां देते हैं। पहला नाम वाला बिल वापस लिया जाएगा. पिछले दरवाजे से सेंसरशिप को खत्म करने के लिए अन्य दोनों अधिनियमों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को संशोधित किया जायेगा या हटाया जाएगा।

8. कांग्रेस सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करेगी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पारदर्शी और उचित मापदंड के अनुसार वर्गीकृत प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

न्यायपालिका

पिछले 10 वर्षों में भाजपा/एनडीए सरकार के कुशासन, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने (क़ानून की ओट में), जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण, लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है।

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गुणवत्ता, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से, कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) की स्थापना करेगी। NJC की संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। NJC उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

2. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी रिक्तियाँ 3 वर्षों के भीतर भरी जाएंगी।

3. कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी: एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय। 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से युक्त संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा। अपील की अदालत, अपील की अंतिम अदालत होगी जो 3 न्यायाधीशों की प्रत्येक पीठ में बैठकर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगी।

4. कांग्रेस न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

6. कांग्रेस एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच करेगी।

भ्रष्टाचार-विरोधी

पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले थे। कुछ उदाहरण हैं नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाइवेयर एवं चुनावी बांड योजना। कांग्रेस इन संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच करेगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाएगी जिन्होंने इनसे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है।

पिछले 10 वर्षों में ज्ञात अपराधियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि भाजपा/एनडीए सरकार ने उन्हें देश छोड़ने में मदद की है और किसी भी घोटालेबाज को वापस लाने में सक्षम नहीं है। जिन परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने की इजाजत दी गई, उनकी जांच की जाएगी और घोटालेबाजों के सभी सहयोगियों को कानून के सामने लाया जाएगा।

भाजपा एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों को पुन:प्रवर्तन कर जांच की जाएगी।

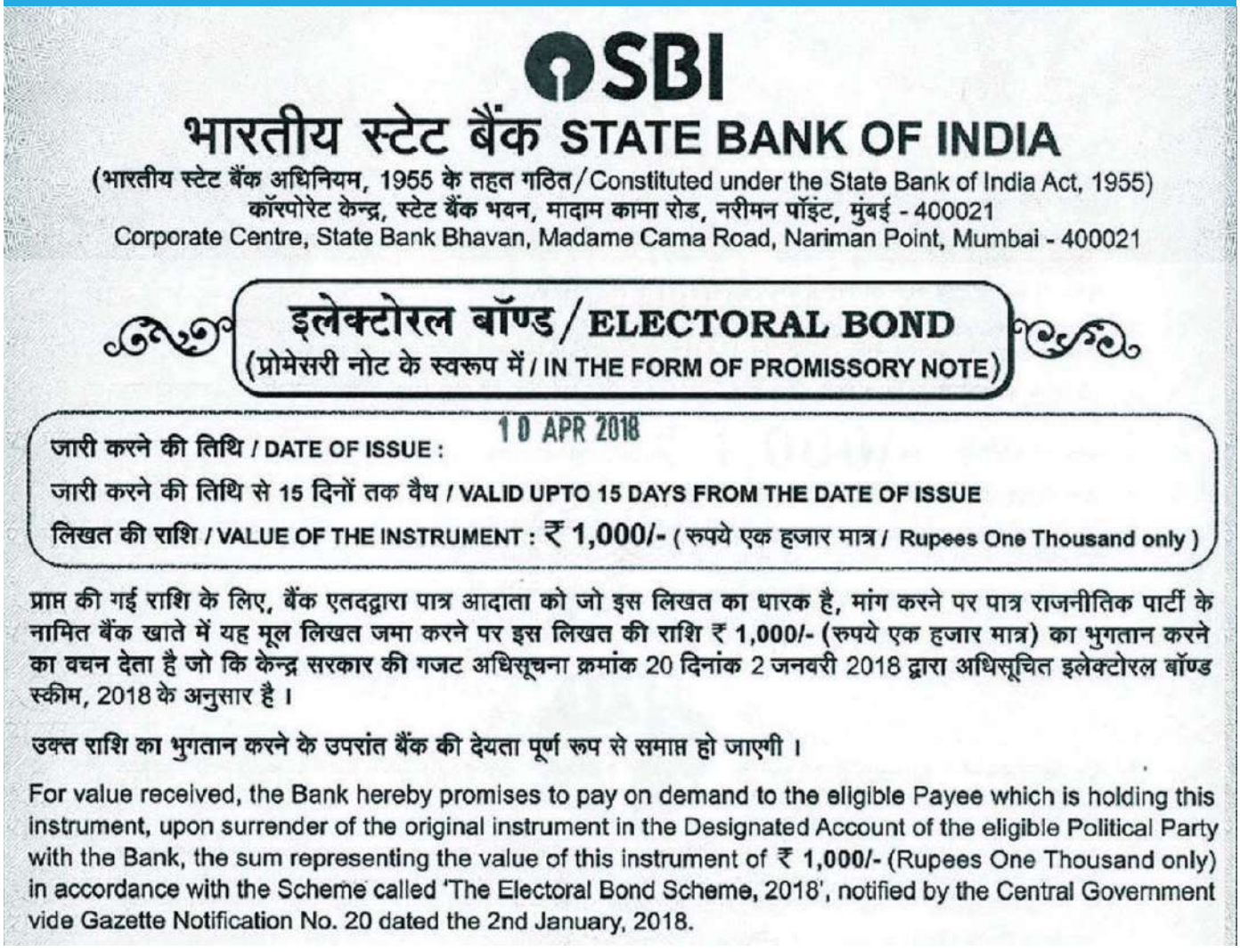

SBI

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955)
कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND
(प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE : 10 APR 2018
जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT : ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र / Rupees One Thousand only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्द्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है ।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,000/- (Rupees One Thousand only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018.

कला, संस्कृति और विरासत

कला, संस्कृति और विरासत लोगों की पहचान होती है। भाजपा/एनडीए सरकार ने संस्कृति को राजनीति और विचारधारा की दृष्टि से देखने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि संस्कृति के वास्तविक अभ्यासकर्ताओं, प्रथाओं और संस्थानों को उपेक्षित या सक्रिय रूप से कमजोर कर दिया गया है। कांग्रेस भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विविधता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वे स्वतंत्रता और रचनात्मकता के माहौल में विकसित हों।

1. कांग्रेस कलात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देगी। कांग्रेस सेंसरशिप का विरोध करेंगे। स्वघोषित निगरानी समूहों द्वारा कलाकारों को सेंसर करने या डराने-धमकाने के प्रयासों से सख्ती से और कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

2. कांग्रेस भारत की जीवित परंपराओं, विशेषकर हमारी विशिष्ट स्वदेशी संस्कृतियों की समृद्धि को बनाए रखने के लिए संसाधन और ध्यान देगी।

3. कांग्रेस कारीगर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे और शिल्प आधारित उद्यमों को बढ़ावा देगी।

4. कांग्रेस वित्तीय स्वायत्तता सहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। इन संस्थानों का संचालन क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।

5. कांग्रेस स्कूलों और कॉलेजों में कला शिक्षा को बढ़ावा देंगे और संस्थानों का समर्थन करेगी।

6. कांग्रेस भारत की चोरी हुई कला को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करेंगे और इसमें निजी प्रयासों का भी समर्थन करेगी।

7. कांग्रेस संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की स्थापना के लिए सरकारी और निजी प्रयासों का समर्थन करेगी। इसमें जिला स्तर पर छोटे संस्थान शामिल होंगे, जो कलाकारों, कारीगरों, लोक संस्कृति और समुदायों के बारे में स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं। कांग्रेस डिजिटल अभिलेखागार बनाने के उपायों का समर्थन करेगी।

8. कांग्रेस पुस्तकालयों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। कांग्रेस मोबाइल और सामुदायिक पुस्तकालयों का समर्थन करेगी।

9. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि स्मारकों और पुरातन अवशेषों पर राष्ट्रीय मिशन को पुनर्जीवित किया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिक धन और मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।

10. कांग्रेस विदेशों में राष्ट्रीय एकता और भारतीय सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति की पारंपरिक और समकालीन अभिव्यक्तियों के भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए अनुदान की पेशकश करेगी।

11. कांग्रेस कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की समीक्षा करेगी और उसे मजबूत करेगी।

आर्थिक न्याय

कांग्रेस की आर्थिक नीति

आर्थिक न्याय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय। कांग्रेस की आर्थिक नीति समय के साथ विकसित हुई है। 1991 में, कांग्रेस ने उदारीकरण युग की शुरुआत की और देश को एक खुली, स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धा से भरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया। भारत को इससे ज़बरदस्त लाभ मिला - बड़े पैमाने पर धन का सृजन हुआ, नए-नए व्यवसाय शुरु हुए, उद्यम के अवसर पैदा हुए, एक विशाल मध्यम वर्ग बना, लाखों नौकरियां मिलीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नवाचार देखने को मिला और निर्यात काफी बढ़ा। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। कांग्रेस एक खुली अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं जिसमें आर्थिक विकास को निजी क्षेत्र द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा।

नव संकल्प का समय है

33 वर्षों के बाद, आर्थिक नीति को री-सेट (फिर से निर्धारित) करने का समय आ गया है। कांग्रेसें एक नव संकल्प आर्थिक नीति की आवश्यकता है। **नव संकल्प आर्थिक नीति** की आधारशिला नौकरियां होगी। नौकरियां पैदा करने के लिए, भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना होगा। कांग्रेसें अपने लिए और दुनिया के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होगा। यह भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरने एक बड़ा अवसर है।

कांग्रेस बिना रोजगार (Job-less) के विकास और नौकरी को खत्म करने वाले (Job-loss) विकास की भाजपा की विरासत को खारिज करते हैं। कांग्रेस महंगाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे जिनमें कि एक बड़े वर्ग में व्यापक गरीबी; भूखमरी; महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी; और आय तथा धन की बढ़ती असमानताएं शामिल हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के तीन लक्ष्य, थे, हैं और रहेंगे - **काम, धन और जनकल्याण।**

काम

काम का मतलब है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी और स्व-रोज़गार एवं बिजनेस शुरु करने लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

1. कांग्रेस अगले अध्याय में दी गई रूपरेखा के अनुसार करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी। सबसे ज्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में मिलती है। विशेष रूप से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) सेक्टर नौकरियों के लिए सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। औसत शिक्षा और औसत कौशल वाले श्रमिकों को भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं।

2. कांग्रेस निजी क्षेत्र और हर तरह के उद्यम (बड़े, मध्यम, छोटे एवं सूक्ष्म) को रोजगार के अवसर पैदा करने और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने में मदद देगी।

3. कांग्रेस अविश्वास और डर के मौजूदा माहौल को बदलकर एक स्वस्थ इको-सिस्टम बनाएंगे जहां निजी उद्यम, नियामक एजेंसियां, टैक्स एजेंसियां और सरकार आपसी सहयोग और सम्मान की भावना से काम करेगी।

4. कांग्रेस नवाचार और बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा करेंगे, पैसे का प्रबंध करना आसान करेंगे, और भारत या विदेश में कहीं भी उत्पादन और बिक्री की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी।

5. कांग्रेस, मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का समर्थन करेगी।

6. कांग्रेस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देंगे और उनमें शामिल होगी।

7. विनियामक निरीक्षण स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों और नियमों के आधार पर होंगे। ऐसे नियमों और कानूनों को निष्पक्षता के साथ और बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा।

8. कांग्रेस सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

9. कांग्रेस एकाधिकार (एक कंपनी का प्रभुत्व) अल्पाधिकार (कुछ कंपनियों के प्रभुत्व) और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' का विरोध करते हैं।

10. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति उन वित्तीय या भौतिक संसाधनों या व्यावसायिक अवसरों या रियायतों को सिर्फ़ अपना न समझे जो प्रत्येक उद्यमी को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

11. कांग्रेस की नीति उन व्यावसायिक उद्यमों को प्राथमिकता देगी जो बड़ी संख्या में रोज़गार एवं नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे।

12. पूर्ण रोजगार कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभपूर्ण रोजगार मिले।

13. कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता लाभ के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएंगे। भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा पारित श्रम संहिताओं की समीक्षा की जाएगी और उनमें संशोधन किए जाएंगे।

14. कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव एवं असमानता से सबंधित समस्याओं का समाधान करेगी।

15. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर लोन दें।

16. कांग्रेस बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की व्यापक समीक्षा करेगी, ग्राहकों का शोषण रोकेगी और बैंक सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाएगी।

17. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।

18. कांग्रेस गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाएगी।

19. कांग्रेस घरों में काम करने वाले श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करने और उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रस्ताव लाएगी।

20. कांग्रेस कर नीतियों को रोजगार और वेतन के साथ-साथ निवेश और मुनाफा बढ़ाने के लिए दिशा देगी।

21. कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी।

संपत्ति

संपत्ति और संपत्ति का सृजन किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य होता है। औद्योगिक और व्यावसायिक नीतियों और विनियमों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े उत्पादन या अधिक मूल्य की हर बाधा, चाहे कानूनी हो या प्रशासनिक, दूर की जाएगी। कांग्रेस भारत के भीतर और आयात के माध्यम से वित्त, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और अन्य संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। व्यावसायिक उद्यमों को भारत के भीतर या निर्यात के माध्यम से वस्तु एवं सेवाएं बेचने की स्वतंत्रता होगी। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बाधित करने वाले सभी कानूनों और नियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा।

1990-91 में भारत की जीडीपी स्थाई मूल्यों पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए थी। 13 वर्षों में, पहले कांग्रेस की सरकार में और बाद में गठबंधन की सरकारों में, जीडीपी दोगुनी होकर 2003-04 में 50 लाख करोड़ रुपए के मूल्य तक पहुंच गई। यूपीए के 10 वर्षों में, अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी हो गई - 2013-14 में जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपए थी। भाजपा/एनडीए सरकार को 100 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी लेकिन उसने इस सुनहरे मौके को गंवा दिया। अगर यूपीए सत्ता में बना रहता, तो अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी हो कर 2023-24 में 200 लाख करोड़ रुपए की हो जाती। लेकिन अफ़सोस है कि भाजपा के कुप्रबंधन के कारण, सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 के अंत तक केवल 173 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक ही पहुंच पाएगा और एक हासिल हो सकने वाले लक्ष्य से पीछे रह जाएगा।

कांग्रेस तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेसने अगले 10 वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

जन-कल्याण

जन-कल्याण ही काम और संपत्ति सृजन का लक्ष्य है। भाजपा/एनडीए की भेदभाव से भरी नीतियों के कारण भारत की जनता आर्थिक दृष्टि से विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है। एक बड़ा मध्यम वर्ग है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ग़रीबी रेखा से ऊपर है लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग में नहीं आता है। और देश में लगभग 22 करोड़ गरीब लोग हैं। गरीबों का कल्याण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए; वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सबसे ऊपर नौकरियों/कार्य के अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हों; और उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचे स्थान पर मौजूद अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाए।

जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से ऊपर उठते हैं, उनकी ज़रूरतें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर वस्तुओं एवं सेवाओं की होती हैं। इसके अलावा, कांग्रेसें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। भविष्य की चुनौतियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। सारी ऊर्जा का भविष्य हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) है। कांग्रेस ऊर्जा के मौजूदा स्रोतों से हरित ऊर्जा में बदलाव के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध करेगी।

नव संकल्प आर्थिक नीति का उद्देश्य एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और सभी वर्गों के लिए समृद्धि लाना होगा। जैसा कि कांग्रेसने 1991 में किया था वैसे ही कांग्रेस एक नई शुरुआत करेगी, जिसमें राष्ट्र निर्माण में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी अर्थव्यवस्था की दोहरी चुनौतियों, बेरोजगारी और महंगाई, के संदर्भ में आर्थिक विकास के लिए अपने रोडमैप को फिर से निर्धारित (री-सेट) करें और फिर से प्राथमिकताएं तय करें।

कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के विभिन्न भागों में काफ़ी महत्वपूर्ण वादे किये हैं। कांग्रेसें उम्मीद है कि इन वादों को क्रियान्वित करके, कांग्रेस एक निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह अर्थव्यवस्था भारत को एक समृद्ध देश बनाएगी और वह बदलती दुनिया में लचीला रुख अपनाने वाला भी होगा।

बेरोज़गारी - नौकरियों की मांग को पूरा करना

आज सबसे अधिक चुनौती से भरा मुद्दा भयंकर बेरोजगारी है। रोजगार न मिलने के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 15-29 वर्ष की आयु वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है। 25 वर्ष से कम आयु के 42.3 फीसदी युवा स्नातक बेरोजगार हैं। 30-34 वर्ष की आयु के स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 9.8 प्रतिशत है। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा करने वाली भाजपा पर किसी को भरोसा नहीं है। इस गंभीर समस्या पर भाजपा/एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया श्रम बल सर्वेक्षणों को रोकना, डेटा के साथ छेड़-छाड़ करना और यह दिखाने की कोशिश करना है, जैसे समस्या है ही नहीं। कांग्रेस इस समस्या को स्वीकार करते हैं और ठोस पहल के माध्यम से करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा करने का वादा करते हैं:

1. केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरेंगे। कांग्रेस यह तय करेगी कि पंचायत और नगर निकायों में जितने भी खाली पद पड़े हैं, उन्हें राज्य सरकारों की सकांग्रेसती से समय सारिणी के अनुसार भरा जाए।

2. केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले स्वायत्त संस्थानों में रिक्त शैक्षिक और गैरशैक्षिक पदों को भरेंगे।

3. अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे और सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना और तट रक्षक) को स्वीकृत पदों पर पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने का निर्देश देंगे।

4. 2,500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे।

5. आंगनवाड़ी कार्यकार्ताओं की संख्या दोगुनी करेंगे और 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे।

6. नियमित एवं गुणवत्ता वाली अतिरिक्त नौकरी देने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार से जुड़ी नई प्रोत्साहन योजना (ईएलआई योजना) लाएंगे। यदि कॉरपोरेट्स अतिरिक्त भर्ती करेंगे तो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलेगा।

7. सकल घरेलू उत्पाद में खनन की हिस्सेदारी को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने और खनिज से समृद्ध राज्यों में अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने और खनन करने के लिए एक रणनीतिक खनन कार्यक्रम शुरू करेंगे।

8. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।

9. जल निकाय पुनर्स्थापन कार्यक्रम और बंजर भूमि पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू करके कम पढ़े-लिखे, कम कुशल युवाओं के लिए नौकरियां प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

10. 18-29 आयु वर्ग के युवाओं को लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संगठनों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संगठन स्थापित करेंगे। मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण के लिए सी.एस.आर. फंड का उपयोग करने के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित करेंगे।

11. पंचायतों को सौर ग्रिड स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो सामान्य उद्देश्यों के लिए बिजली पैदा करेंगे और पंचायत स्तर पर रोजगार पैदा करेंगे।

12. कार्यस्थलों को महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित बनाने और छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधाओं के लिए कानूनों में संशोधन करेंगे। ऐसे कार्यस्थलों तक यात्रा की सुविधा प्रदान करें।

कराधान और टैक्स में सुधार

सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स शासन का मूल है। भाजपा/एनडीए सरकार के पिछले दस साल में बेलगाम टैक्स वसूलने का मामला सामने आया है। अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के कारण आम लोगों और गरीबों द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा काफी बढ़ गया है और कॉर्पोरेट्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा कम हो गया है। ऐसा होना एक प्रगतिशील टैक्स नीति के बिलकुल विपरीत है। नोटबंदी और जी.एस.टी. के माध्यम से टैक्स बेस बढ़ाने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, पिछले दशक में भारत की जीडीपी में कुल कर नहीं बढ़ा है। ऐसा होने से व्यय में वृद्धि होने की बहुत कम गुंजाइश बची है। कांग्रेस भारत की कराधान प्रणाली को लोगों के अनुकूल और प्रभावशाली बनाने के लिए एवं निजी बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेगी।

1. कांग्रेस एक प्रत्यक्ष कर संहिता बनाएगी जो प्रत्यक्ष करों की पारदर्शिता, समानता, स्पष्टता और निष्पक्ष कर प्रशासन के युग की शुरूआत करेगी।

2. कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर बनाए रखेगी। इससे वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को बढ़ती कर की दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मध्यम से लंबी अवधि में अपने वित्त की योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी।

3. कांग्रेस "एंजेल टैक्स" और निवेश को बाधित करने वाली अन्य सभी शोषणकारी कर योजनाओं को खत्म करेगी।

4. कांग्रेस व्यक्तिगत (प्रोप्राइटरशिप) और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) पर कर का बोझ कम करेगी।

5. कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एक कानून लाएगी। इस कानून के माध्यम से राज्यों को उनके कर राजस्व के उचित हिस्से से वंचित करने के लिए मोदी सरकार के दोहरे "उपकर" राज को समाप्त किया जाएगा।

6. कांग्रेस बीजेपी/एनडीए सरकार द्वारा लाए गए जी.एस.टी. कानूनों को जी.एस.टी. 2.0 के माध्यम से बदलेगी। नई जी.एस.टी. व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित होगी कि जी.एस.टी. एकल, सीमित दर (कुछ अपवादों के साथ) होगी जिससे गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा।

7. कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगेगा।

8. जी.एस.टी. काउंसिल को दोबारा डिजाइन किया जाएगा जो की जी.एस.टी. से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम प्राधिकरण होगा।

9. जी.एस.टी. कानूनों का प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हॉरिज़ोंटली बांटा जाएगा। एक सीमा से कम जी.एस.टी. देने वाले राज्य सरकारों के अधिन आएंगे।

10. जी.एस.टी. से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को आवंटित किया जाएगा।

11. ऑनलाइन व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले दुकानदारों और छोटे खुदरा व्यवसायों को विशेष राहत दी जाएगी।

12. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जी.एस.टी. एटी) और सीमा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (सीई.एस.टी. एटी) सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र न्यायिक निकाय होंगे।

उद्योग

एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने और लाखों युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत उपभोग करने वाली अर्थव्यवस्था से उत्पादक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक शक्तिशाली केंद्र बनना चाहिए जो अपने और दुनिया के दूसरे देशों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे। इसके लिए आर्थिक और व्यावसायिक पहलुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक सद्भाव के बेहतर माहौल का होना है जो निवेश और कुशल श्रम शक्ति को आकर्षित करेगा। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 25 वर्षों में, कांग्रेस के शासन के दौरान जीडीपी में भारत की मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। इसके विपरीत, पिछले 10 वर्षों (2014-24) में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है।

1. कांग्रेस अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके भारत को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने का संकल्प लेती है।

2. कांग्रेस के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक व्यवसायों के लिए स्वस्थ, भयमुक्त और भरोसेमंद माहौल बनाना होगा। वर्ष 1991 में कांग्रेस की सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग और नियंत्रण को समाप्त कर दिया था लेकिन जो स्वतंत्र नियामक व्यवस्था स्थापित की गई है वह प्रत्यक्ष और गुप्त नियंत्रण की प्रणाली में बदल गई है। कांग्रेस मौजूदा नियमों और रेगुलेशन्स की व्यापक समीक्षा करेंगे और उद्योग, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए उन्हें निरस्त या संशोधित करेंगे।

3. कांग्रेस का लक्ष्य होगा कि भारत स्टील, धातु, परिधान और वस्त्र, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स (औषध उद्योग), इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और दुर्लभ मृदा खनन जैसे कई उद्योगों में नेतृत्व की स्थिति में आए।

4. आरबीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार की करीब 60 फीसदी बड़ी परियोजनाएं रुकी हुई हैं या उनमें देरी हो रही है और लागत करीब 5 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। कांग्रेस मिशन मोड में इस समस्या का समाधान करेगी और निजी क्षेत्र की मदद से रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के तरीके और साधन ढूंढेगी।

5. कांग्रेस विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में सुधार करेगी जो भारत को संबंधित क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 उत्पादकों में से एक बनाकर हजारों नौकरियां पैदा कर सकती है।

6. कांग्रेस नियमित, गुणवत्ता वाली नौकरियों के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने पर कॉरपोरेट्स को टैक्स क्रेडिट देने के लिए रोजगार आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना लाएगी।

7. कांग्रेस बौद्धिक संपदा अधिकारों और छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों में आईपीआर के पंजीकरण, अधिग्रहण, संरक्षण और उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

8. कांग्रेस सभी व्यवसायों को समान अवसर मुहैया कराएगी। कांग्रेस एकाधिकार (एक कंपनी का प्रभुत्व) और अल्पाधिकार (कुछ कंपनियों के प्रभुत्व) का विरोध करती हैं। भारत एक खुली और प्रतिस्पर्धा से भरा अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए कांग्रेस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मजबूत करेगी।

9. कांग्रेस कॉर्पोरेट कराधान संरचना को सरल बनाएगी और टैक्स टेररिज़्म (आतंकवाद) को समाप्त करेगी। कांग्रेस जांच एजेंसियों को कॉरपोरेट्स को लाभ पहुँचाने या दंडित करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे कानून की सख्त सीमाओं के भीतर काम करें।

10. कांग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि के उपयोग को बढ़ावा देंगे और समर्थन करेंगे, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेंगे कि पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में नौकरी के अधिक अवसर हों।

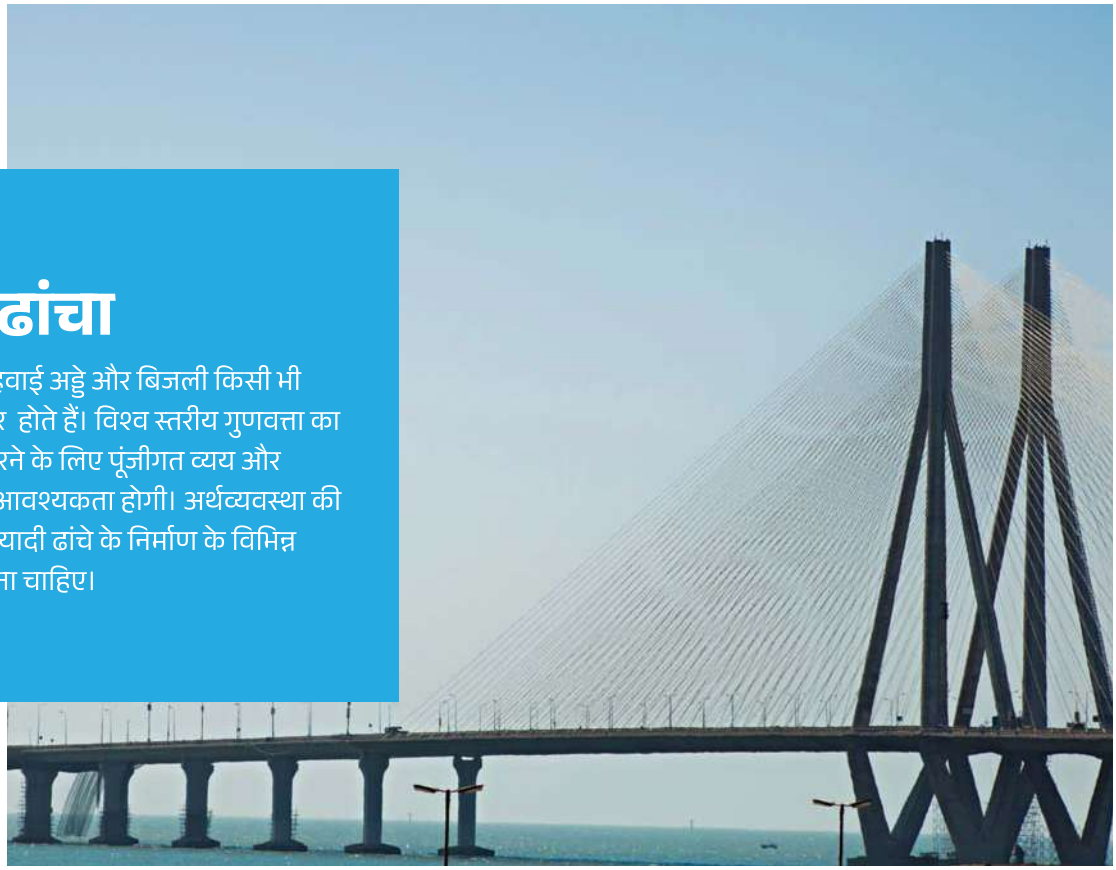

बुनियादी ढांचा

सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली किसी भी अर्थव्यवस्था के हार्डवेयर होते हैं। विश्व स्तरीय गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पूंजीगत व्यय और आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होगी। अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचे के निर्माण के विभिन्न मॉडलों को अपनाया जाना चाहिए।

1. कांग्रेस सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाएगी, निर्माण की गति बढ़ाएगी और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करेगी। डिजाइन, गुणवत्ता, कार्यान्वयन की गति, मेंटेनेंस और जवाबदेही पर ध्यान दिया जाएगा।

2. सार्वजनिक संपत्ति और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी पूंजी का सहारा लिया जाना चाहिए लेकिन भाजपा/एनडीए सरकार ने इस मॉडल को उलट दिया है। इन्होंने सरकारी पैसे से ऐसी संपत्तियां बनाई हैं जो अंततः निजी हाथों में चली जाती हैं। कांग्रेस जनता के पैसे की इस लूट को रोकेगी।

3. कांग्रेस पुराने रेलवे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी लेकिन ऐसा करते समय कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों और यात्रियों को भी इसका लाभ मिले।

4. कवच (टकराव रोधी उपकरण) को यूपीए के कार्यकाल के दौरान विकसित किया गया था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ट्रेन इंजनों और मार्गों पर कवच स्थापित किया जाएगा।

5. ग्रामीण क्षेत्रों और नजदीकी कस्बों/शहरों के बीच परिवहन सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह सकें और शहरी क्षेत्रों में काम कर सकें।

6. कांग्रेस मल्टी-मॉडल शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक व्यापक योजना लागू करेगी।

7. टोल टैक्स को सड़क का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा बेहद शोषण करने वाला माना जाता है। टोल नीति की समीक्षा की जाएगी और सड़क के प्रत्येक हिस्से के लिए टोल राशि और लेवी की अवधि निर्धारित करने के लिए फ़ॉर्मूले लागू किए जाएंगे।

8. बंदरगाहों/हवाई अड्डों के बीच दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए एक नियामक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

9. कांग्रेस हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी। कांग्रेस नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं लागू करेगी जिससे पंचायत या नगर पालिका को जहां तक संभव हो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कांग्रेस कृषि के लिए भूजल निकालने हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजनों को बढ़ावा देगी।

10. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय पर्यावरण और समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों को खोजने और निकालने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का पालन किया जाए। ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले संबंधित पंचायत या नगर पालिका के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा।

राज्य न्याय

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

संघवाद 'भारत राज्यों का संघ है' का मूलभूत सिद्धांत है। संघ और राज्यों के बीच आपसी विश्वास से सिले गए भारत के संघवाद के ताने-बाने को भाजपा/एनडीए सरकार ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है। कांग्रेस इस विश्वास की पुष्टि करती है कि भारत का प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित अधिकांश मामलों में, वह राज्य सरकार है जो लोगों के करीब है और, कुछ मामलों में, वह स्थानीय सरकार (पंचायत या नगर पालिका) है जो लोगों के करीब है।

1. कांग्रेस संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी क्षेत्रों के वितरण की समीक्षा करेगी और कुछ क्षेत्रों को सूची III (समवर्ती सूची) से सूची II (राज्य सूची) में स्थानांतरित करने पर आम सहमति बनाएगी।

2. भारत एक है और एक ही समय में अनेक भी है। इसकी एकता तब मजबूत होती है जब इसकी विविधताओं को समायोजित किया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है और आगे भी रहेगा. संविधान का अनुच्छेद 1 इन शब्दों से शुरू होता है "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" यह हमारे देश में संघवाद का मार्गदर्शक सिद्धांत है।

3. कांग्रेस राज्यों को कर राजस्व के उनके उचित हिस्से से वंचित करने के लिए भाजपा/एनडीए सरकार के दोहरे "उपकर" राज को समाप्त कर देगी। कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एक कानून बनाएगी।

4. कांग्रेस वित्त आयोग को केंद्रीय कर राजस्व के हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयासों जैसे कारकों को ध्यान में रखने का निर्देश देगी। कांग्रेस जी.एस.टी. राजस्व के हिस्से सहित सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फार्मूला विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।

5. तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी शासन के लिए सीधे निर्वाचित मेयर/अध्यक्ष को अधिक कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करेगी। प्रशासन को मेयर/अध्यक्ष एवं परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएगी।

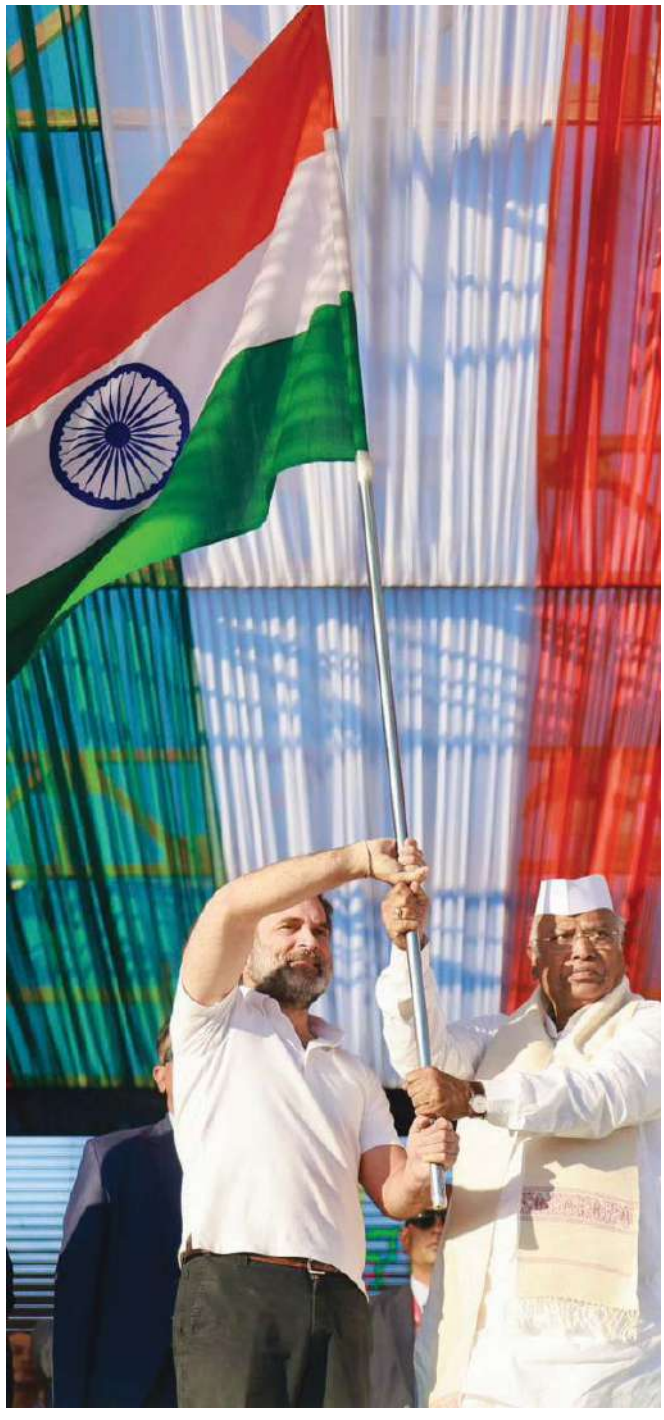

6. कांग्रेस, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के निर्माता के रूप में, राज्यों पर उन प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने और पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन, कार्यों और पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए सम्मत करेगी।

7. कांग्रेस ग्राम पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाएगी। कांग्रेस निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन में ग्राम सभा के अधिकार को बढ़ाएगी:

a. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

b. वन अधिकार अधिनियम, 2006

c. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013

8. कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों को वित्तीय सहायता बढ़ाएगी।

9. हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे।

10. कांग्रेस 20 फरवरी 2014 के वादे के मुताबिक आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी।

11. कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करेंगे और घोषणा करेंगे कि उपराज्यपाल सेवाओं सहित सभी मामलों पर एनसीटी, दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे, केवल तीन आरक्षित विषयों से संबंधित मामलों को छोड़कर।

12. कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।

ग्रामीण एवं शहरी विकास

भारत जिन दो वास्तविकताओं का सामना कर रहा है वे हैं (1) कि लगभग 60 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और (2) शहरीकरण तेजी से हो रहा है। इसलिए, कांग्रेस ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर समान ध्यान देना होगा और अपने गांवों और कस्बों/शहरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा

आजीविका, आवास, पानी, बिजली, निवास-स्थान, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ मुद्दे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कांग्रेस वासभूमि (होमस्टेड)/ का अधिकार अधिनियम पारित करेगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सभी गांवों और बस्तियों तक विस्तारित करेगी, और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने और तेज करने के लिए धन बढ़ाएगी।

2. कांग्रेस मनरेगा (MGNREGS) के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकता है।

3. कांग्रेस एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी, जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगा।

4. मौजूदा शहरों के अविवेकपूर्ण विस्तार को विनियमित करने के लिए, कांग्रेस मौजूदा शहर के पास एक ट्विन सिटी के निर्माण की योजना बनाएगी, लेकिन इन पुराने और नए शहरों के बीच हरित पट्टी बनेगी और कोई निर्माण नहीं हो सकेगा।

5. शहरी प्रशासन में सुधार के लिए, मेयर/अध्यक्ष को एक परिषद के साथ 5 साल की निश्चित अवधि के लिए सीधे चुना जाएगा। महापौर/अध्यक्ष को कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशासन को महापौर/अध्यक्ष और परिषद के प्रति जवाबदेह बनाएंगे।

6. ग्रामीण क्षेत्रों और नजदीकी कस्बे/शहर के बीच परिवहन सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह सकें और शहरी क्षेत्रों में काम कर सकें।

7. कांग्रेस मल्टी-मोडल शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक व्यापक योजना लागू करेगी।

8. कस्बों और शहरों में महिलाओं और बच्चों के लिए यात्रा/परिवहन को सुरक्षित बनाया जाएगा।

9. आवारा कुत्तों का आतंक चिंताजनक रूप धारण कर चुका है। ऐसे समाधान ढूंढे जाएंगे जो मनुष्यों (विशेष रूप से बच्चों) की रक्षा करेंगे और जानवरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप होंगे।

10. कांग्रेस राज्यों पर संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को अक्षरश: लागू करने के लिए सहमत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि धन, कार्य और पदाधिकारी पंचायतों और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएं।

उत्तर पूर्वी राज्य

भारत संघ के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्य भारत के अनेकवाद और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें गर्व है कि कांग्रेस एक विविधतापूर्ण देश हैं जो कई नस्लों, धर्मों और भाषाओं का घर है।

1. कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमी का आकलन करेंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराएगी।

2. कांग्रेस सीमा व्यापार का समर्थन करेगी और ऐसे व्यापार की मात्रा और मूल्य बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

3. कांग्रेस उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) को पुनर्जीवित करेगी और उन्हें स्थानीय सरकार का एक प्रभावी साधन बनाएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि विकासात्मक कार्यों के लिए ADC के माध्यम से अधिक धनराशि का उपयोग किया जाए।

4. कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि चाय बागान श्रमिकों को लागू कानूनों और समझौतों के अनुसार उचित वेतन और अन्य लाभ प्राप्त हों।

5. भाजपा/एनडीए सरकार की घोर उपेक्षा के कारण मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस वर्तमान राज्य सरकार को तुरंत हटा देगी और धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समुदायों के बीच घावों को भरेगी और एक राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान करेगी जो सभी के लिए संतोषजनक होगा।

6. कांग्रेस मणिपुर हिंसा में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा और समाधान सुनिश्चित करेगी।

7. 2013-14 में हुए प्रारंभिक समझौते के आधार पर नागा समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता किया जाएगा।

रक्षा न्याय

(सुरक्षा के माध्यम से न्याय)

रक्षा

2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ एवं गलवान झड़प ने कई दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता का प्रमाण दिया। 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर, 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।

1. औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण तदर्थ और व्यक्तिगत नीति निर्माण हुआ है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy) जारी करेगी।

2. रक्षा मंत्री के ऑपरेशनल निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करते हैं। यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। मौजूदा दो मोर्चों (टू-फ्रंट) की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी।

3. सैन्य सुधार, तैयारियों और संयुक्त अभियानों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद है। पारदर्शिता और सैन्य सहमति सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस सी.डी.एस. की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी।

4. कांग्रेस कुल व्यय के अनुपात के रूप में रक्षा व्यय में कटौती को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित और खर्च किया जाए।

5. कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी जो सारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।

6. कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार करेगी।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा।

8. 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार क्षेत्र की रक्षा से आगे बढ़कर हाइब्रिड युद्ध, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय

सुरक्षा, संचार सुरक्षा और व्यापार मार्गों की सुरक्षा तक हो गया है। कांग्रेस इनमें से प्रत्येक विषय के समाधान के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करेगी।

9. कांग्रेस निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ NSC के तहत एक राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका कार्य होगा:

a. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के संभावित जोखिमों की निगरानी करना और उनसे निपटने का सुझाव देना;

b. बड़े आयात स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उपाय सुझाना;

c. आवक और जावक निवेश की दिशा में भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना जो दुनिया में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा;

d. वैश्विक वित्तीय प्रवाह की निगरानी करना और भारत के लिए संभावित खतरों की पहचान करना, साथ ही उन्हें पहले से ही कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना; एवं

e. डिजिटल/साइबर सुरक्षा मुद्दों पर काम करना जो भारत के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल सकते हैं।

10. कांग्रेस रक्षा और सुरक्षा हार्डवेयर और उपकरण बनाने की घरेलू क्षमता का तेजी से विस्तार करेगी।

11. वन रैंक वन पेंशन (OROP) को यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 के आदेश के अनुसार लागू किया जाएगा। भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा OROP के कार्यान्वयन में जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस विकलांगता पेंशन को बहाल करेंगे और इसे कर-मुक्त करेगी।

आंतरिक सुरक्षा

2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद, कांग्रेस ने आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार किया और कई आधारभूत समाधान लागू किए। चिंताजनक बात यह है कि व्यवस्था में त्रुटियां उभर आई हैं। इसके अलावा, घृणा फैलाने वाले भाषणों, घृणा अपराधों और सांप्रदायिक संघर्ष में वृद्धि ने स्थिति को कठिन बना दिया है।

1. कांग्रेस नफरत भरे भाषणों, नफरत भरे अपराधों और सांप्रदायिक विवादों को सख्ती से खत्म करेगी। एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। कांग्रेस ऐसे अपराधों के अपराधियों और उनके प्रायोजकों की पहचान करेगी और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करेगी।

2. कांग्रेस मॉब लिंचिंग, फ़र्ज़ी एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय जैसे गैर-न्यायिक अवैध कदमों का दृढ़ता से विरोध करती है। कांग्रेस उन्हें तुरंत रोकेगी और अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा देगी।

3. 2008 के सुधारों का अधूरा एजेंडा हैं; नेटग्रिड (NATGRID) और राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी केंद्र (NCTC)। कांग्रेस इन दो विषयों पर कार्य पूरा करेगी और एक साल के भीतर उन्हें क्रियान्वित करेगी।

4. राज्य पुलिस आंतरिक सुरक्षा के खतरों पर पहली प्रतिक्रिया देती है। कांग्रेस कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को बिना किसी डर या पक्षपात के दंडित करने के लिए राज्य पुलिस बलों के निर्माण, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी।

5. नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। नशीली दवाओं की तस्करी के लिए बंदरगाहों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। विनियामक और दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत किया जाएगा, और नशीली दवाओं के तस्करों और तस्करों और उनके सहयोगियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

6. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की ताकत बढ़ाई जाएगी एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा। हमारा लक्ष्य है कि इन बलों में 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। सेवा नियमों को संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा। प्रशिक्षण, आराम और स्वास्थ्य लाभ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बलों को तैनात किया जाएगा।

7. कांग्रेस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में रिक्तियों को भरेंगे और पूर्ण स्वीकृत संख्या हासिल करेगी।

विदेश नीति

1. कांग्रेस भारत की विदेश नीति में निरंतरता की पुष्टि करती है और इसे कायम रखेगी। स्वतंत्रता आंदोलन ने कांग्रेस के दृष्टिकोण को गहन आकार दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी नेताओं के ज्ञान के माध्यम से विकसित किया गया था।

2. आजादी के बाद से ही विदेश नीति पर आम सहमति थी। दुर्भाग्य से, कई क्षेत्रों में, भाजपा/ एनडीए सरकार के तहत विदेश नीति में इस आम सहमति से उल्लेखनीय विचलन देखा गया है, विशेष रूप से गाजा में चल रहे संघर्ष पर। कांग्रेस वैश्विक मामलों में शांति और संयम की आवाज के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बहाल करने का संकल्प लेती है।

3. कांग्रेस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विचार और कार्रवाई में रणनीतिक स्वायत्तता और दुनिया के देशों के साथ अपने संबंधों में द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने की स्थापित नीति की निरंतर प्रासंगिकता में अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि करती है।

4. कांग्रेस बहुपक्षीय संस्थानों में भारत की भूमिका को मजबूत करने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करने और सीमाओं से परे प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए काम करना जारी रखेगी।

5. संवर्धित विदेशी व्यापार हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा और कांग्रेस भारतीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में अन्य देशों के साथ लंबे समय से लंबित व्यापार वार्ता को समाप्त (निर्णायक रूप देने के लिए) करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

6. कांग्रेस दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का सख्त विरोध करती है। कांग्रेस आतंकवादी समूहों, आतंकवादी कृत्यों और सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगी।

7. कांग्रेस भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए कार्य करेगी जो वर्तमान सरकार की असहमति के प्रति असहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता सहित मानवाधिकारों के दमन से खराब हुई है।

8. कांग्रेस मानती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सीना-ठोकने या अतिश्योक्तिपूर्ण दावों से नहीं बल्कि हमारी सीमाओं पर सतर्कता से ध्यान देने और दृढ़ रक्षा तैयारियों से बढ़ती है। कांग्रेस चीन के साथ अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिन क्षेत्रों में दोनों सेनाएं अतीत में गश्त

करती थीं, वे फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, कांग्रेस चीन के प्रति अपनी नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

9. कांग्रेस सारे निकटतम पड़ोसियों पर अधिक ध्यान देगी। कांग्रेस नेपाल और भूटान के साथ अपने विशेष संबंधों की प्रधानता को फिर से स्थापित करेगी और उन्हें अपने पारस्परिक लाभ के लिए मजबूत करेगी। कांग्रेस भारत और बांग्लादेश, जो दक्षिण एशिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाएगी। कांग्रेस दोनों देशों के बीच राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बहाल करने के लिए श्रीलंका के साथ काम करेगी और श्रीलंका को विशेष रूप से तमिलों के साथ अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी। कांग्रेस मालदीव के साथ संबंध सुधारेंगे और म्यांमार के लोगों के राजनीतिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए म्यांमार के साथ काम करेगी।

10. पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।

11. कांग्रेस विदेश सेवा के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, विदेशों में अधिक मिशन खोलेगी, हमारी आर्थिक शक्तियों का लाभ उठाएगी एवं देश के मूल्यों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक संबंधों के माध्यम से नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करेगी।

12. कांग्रेस प्रवासी भारतीयों को देखने वाले विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री के पद को पुनर्जीवित/ करेगी जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

पर्यावरण न्याय

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन

कांग्रेस तीव्र, समावेशी और सतत विकास के प्रति अपनी गहन प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करती है एवं इसके पारिस्थितिक तंत्र, स्थानीय समुदायों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करेगी। हमे याद है कि वह प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ही थीं जिन्होंने सबसे पहले इस उद्देश्य के लिए कानून, नियम और संस्थाएं बनाई थीं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इस कार्य योजना की भाजपा की गलत आलोचना के बावजूद, भाजपा/एनडीए सरकार ने बाद में इसकी प्रासंगिकता और वैधता को स्वीकार किया। हालांकि, इसमें पिछली नीतियों से कई विचलन हुए हैं और 'व्यापार करने में आसानी' के नाम पर पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, तटीय क्षेत्र विनियमन, आर्द्रभूमि संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों को कमजोर कर दिया गया है।

वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रहे हैं। आदिवासी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका नष्ट हो रही है।

कांग्रेस पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उस गंभीरता से संबोधित करेगी जिसकी वे हकदार हैं।

1. कांग्रेस पर्यावरण मानकों की स्थापना, निगरानी और कार्यान्वयन और राष्ट्रीय और राज्य जलवायु परिवर्तन योजनाओं को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन करेगी।

2. कांग्रेस अक्षय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित एक ग्रीन न्यू डील निवेश कार्यक्रम शुरू करेगी।

3. वायु प्रदूषण की समस्या से तत्काल निपटने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करेगी।

4. कांग्रेस भारत की नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

5. कांग्रेस पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के मुद्दे का अध्ययन करने, भूस्खलन को रोकने के उपाय विकसित करने एवं नागरिकों की

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी।

6. कांग्रेस देश के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करेगी। मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को प्रभावित किए बिना तटीय क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा।

7. भारत ने 2015 एवं 2020 के बीच ब्राजील के बाद वन क्षेत्र की सबसे बड़ी हानि का अनुभव किया। कांग्रेस वन क्षेत्र को बढ़ाने, 'वन' एवं 'वन आवरण' को फिर से परिभाषित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे एवं आधुनिक वैज्ञानिक मानकों के अनुसार, वनीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करेगी।

8. कांग्रेस देश के सभी घरों को सस्ती कीमत पर स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि 'उज्ज्वला' लाभार्थियों के बीच एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग मौजूदा औसत संख्या 3.7 प्रति वर्ष से बढ़ाया जाए।

9. ग्रीन ट्रांजिशन के लिए आवश्यक फंडिंग को सुविधाजनक बनाने एवं 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन फंड ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी।

10. कांग्रेस आपदा प्रबंधन को मनुष्यों तक सीमित नहीं रखेगी एवं इसका विस्तार करके इसमें जंगली जानवरों, घरेलू जानवरों, पालतू जानवरों, पशुधन, कृषि फसलों एवं बागानों को शामिल करेगी।

11. कांग्रेस राष्ट्रीय अनुकूलन कोष में आवंटन बढ़ाएगी एवं कोष के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी।

12. कांग्रेस जलवायु परिवर्तन पर 2008 की राष्ट्रीय कार्य योजना से राष्ट्रीय जलवायु रेसिलिएंस विकास उद्देश्य में परिवर्तन करेंगे जो यह सुनिश्चित करेगा कि विकास के सभी क्षेत्र कार्रवाई एवं मापने योग्य लक्ष्यों के लिए प्रोटोकॉल प्रदान करें।

13. मनुष्य एवं वन्य जीव-जंतुओं के बीच संघर्ष बढ़ गया है। कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी एवं ऐसे समाधान पता लगाएगी जो संघर्ष के क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हैं।

जल प्रबंधन एवं स्वच्छता

भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन जल संसाधन केवल 4 प्रतिशत है। जलवायु परिवर्तन एवं अनियमित मानसून ने किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा महसूस किए जाने वाले पानी के तनाव को बढ़ा दिया है।

1. कांग्रेस जल शक्ति मंत्रालय के दायरे का विस्तार कर जल संबंधी गतिविधियों एवं विभागों को एक प्राधिकरण के तहत लाएगी।

2. कांग्रेस सभी शहरों, कस्बों एवं ग्राम पंचायतों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू करेगी।

3. जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाएगा। सभी तटीय क्षेत्र में डिसेलिनेशन प्लांट लगाए जाएंगे। गैर-पीने योग्य एवं औद्योगिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

4. कांग्रेस पानी तक पहुंच एवं पानी के यथोचित बंटवारे पर विशेष ध्यान देगी। कांग्रेस बांधों एवं जल निकायों में भंडारण, भूजल की भरपाई एवं राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, किसानों, पंचायतों एवं ग्राम सभाओं एवं नगर पालिकाओं को शामिल करते हुए जल प्रबंधन का एक बड़ा भागीदारी कार्यक्रम बनाकर इन मुद्दों का समाधान करेगी।

5. नदियों में अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाने के कारण हमारी नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं। नदियों में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट प्रवाहित करना कानून द्वारा निषिद्ध होगा। कानून द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को अपशिष्ट पदार्थों एवं अपशिष्टों के निपटान के लिए योजनाएं तैयार करने एवं लागू करने की आवश्यकता होगी।

6. मैला ढोने की कुप्रथा को कांग्रेस खत्म करेगी। प्रत्येक मैला ढोने वाले का पुनर्वास किया जाएगा, उसे फिर से कुशल बनाया जाएगा, नौकरी प्रदान की जाएगी एवं सम्मान एवं सुरक्षा का जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू किया जाएगा और मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए किसी को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। हम काम के दौरान मृत सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देंगे। कांग्रेस उन मशीनों की खरीद के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेंगे जो सीवर एवं सेप्टिक टैंकों को साफ करेंगी एवं मानव अपशिष्ट को हटाएंगी। सभी सफाई कर्मियों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

7. राज्य सरकारों के सहयोग से भूमिगत जल निकासी एवं सीवेज के सुरक्षित निपटान का एक व्यापक कार्यक्रम दस वर्षों में सभी कस्बों एवं नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा।

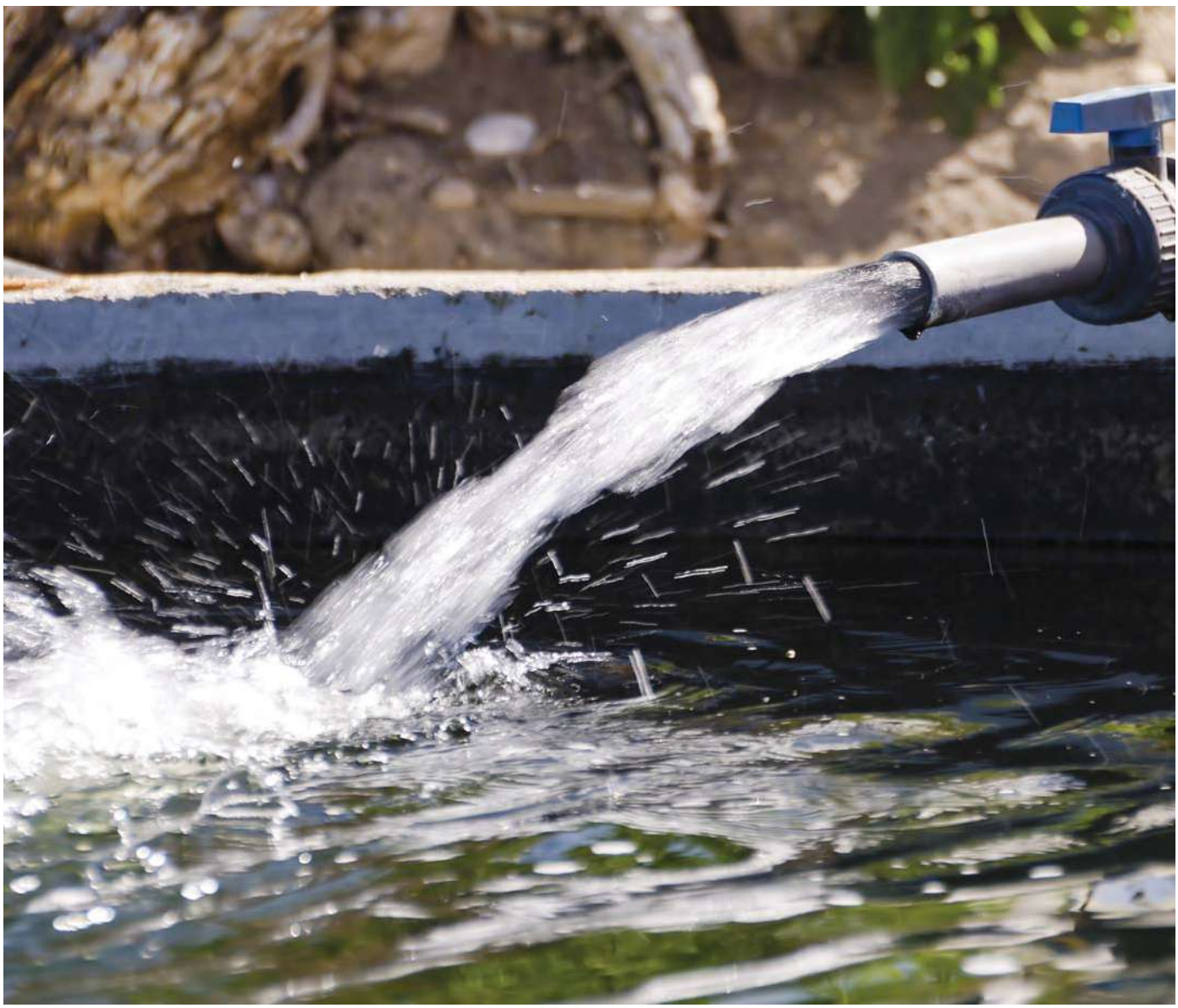

निवेदन

भाजपा/एनडीए सरकार के दस साल काम एवं प्रदर्शन के बजाय अतिश्योक्ति एवं प्रचार के नाम रहे हैं। अर्थव्यवस्था ने संतोषजनक से कम दर से वृद्धि दर्ज की है। व्यापक बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति एवं गिरती खपत ने मामूली वृद्धि को भी कमजोर कर दिया है।

जबकि गरीब एवं मध्यम वर्ग पर मार पड़ी है, देश में माहौल नफरत भरा एवं विभाजनकारी हो गया है। संवैधानिक मूल्यों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है एवं बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है।

असमानताएं बढ़ी हैं. जनता का हर वर्ग भय में जी रहा है।

इस समय भारत एवं भारतीय लोगों को पिछले दस वर्षों के रास्ते से एक निर्णायक विराम की आवश्यकता है। लोग सर्वांगीण विकास, समानता, समता, स्वतंत्रता एवं न्याय की राह पर चलने के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस लोगों को इस नई राह पर चलने के लिए नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखती है।

इतिहास के पाठ आपके सामने हैं। कांग्रेस ने आजादी दिलाई। कांग्रेस ने लोकतंत्र की नींव रखी। कांग्रेस ने 1950 एवं 1960 के दशक में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकारों ने 1965 एवं 1971 के युद्ध लड़े एवं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा की। कांग्रेस ने 1991 में एक आदर्श परिवर्तन किया एवं प्रभावशाली विकास के युग की शुरुआत की। पिछले दस वर्षों में, कांग्रेस अनुदारवाद एवं अधिनायकवाद के खिलाफ मोर्चा रही है। कांग्रेस अन्याय एवं दमनकारी कानूनों के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी है।

इतिहास के सबक को ध्यान में रखते हुए हम आपसे एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विश्वास जताने की अपील करती है।

हम आपसे अधिक स्वतंत्रता, तेज विकास, अधिक न्यायसंगत विकास एवं सभी के लिए न्याय का वादा करते हैं। हम आपसे 'हाथ' चिन्ह एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील करते हैं।

अब समय आ गया है कि हम गीतांजलि में टैगोर के अमर शब्दों को याद करें:

जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊचा हो,

जहाँ ज्ञान का आदर हो और संसार सांसारिक युक्तियों में न उलझा हो,

जहाँ सच का सम्मान हो और नकारात्मक ख्यालो से दूर क्षितिज पाने की आशा हो,

जहाँ भेड़चाल से दूर व्यक्तिविशेष की निरंतर आगे बढ़ने की कर्मठता हो,

हे, परमेश्वर पिता, मेरी ऐसी मातृभूमि को जगाओ !

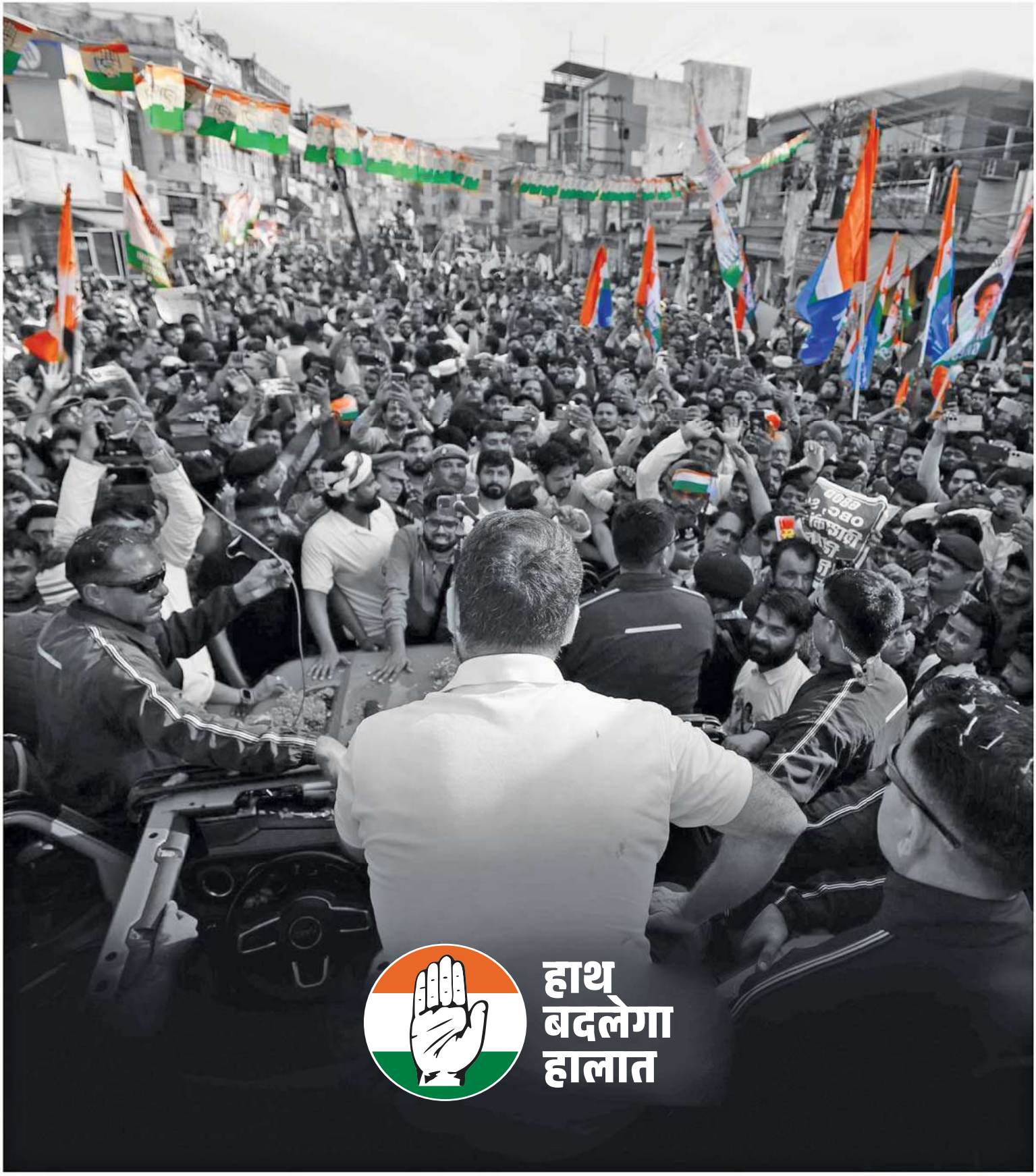

www.inc.in | IndianNationalCongress | INCIndia

Published by
The All India Congress Committee 24,
Akbar Road, New Delhi | PIN: 110001

Printed by
Samrat Offset, B88 Okhla Phase 2,
New Delhi PIN: 110020

Qty : 7000